तारीख हुक्म	हुक्म या कार्रवाई मय इनिशियल्स जज सरकार बनाम नेमीचन्द वगै0 91 एलआर एक्ट 1956, मु.सं.– 46/24 निर्णय दिनांक 25.11.2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.2024	पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान अतिक्रमी उपस्थित नहीं। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कस्बा कामां 1 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि राजकीय भूमि आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 0.18 है0 किस्म जमीन ''चारागाह'' वाके ग्राम कस्बा कामां 1 में से 0.01 हैक्टे0 पर नेमीचन्द, धर्मी पिसरान श्यामालाल, जाति जाटव, निवासी कामां द्वारा टीन शैड बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। प्रकरण दर्ज रजि0 किया जाकर गैर सायलान अतिक्रमियों के विरूद्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में गैर सायल अतिक्रमी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतिक्रमित रकबा जो कि राजकीय भूमि है जिससे गैर सायलान अतिक्रमियों को बेदखल किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमियों नेमीचन्द, धर्मी पिसरान श्यामालाल, जाति जाटव, निवासी कामां, तहसील कामां को आराजी खसरा नम्बर 502 रकबा 0.18 है0 किस्म जमीन ''चारागाह'' वाके ग्राम कस्बा कामां 1 में से 0.01 हैक्टे0 पर टीन शैड बनाकर किए गए अतिक्रमण से बेदखल किया जाता है तथा लगान 1.00 की पचास गुणा 50/– रूपये अक्षरे पचास रूपये मात्र से दण्डित किया जाता है, जिसकी टीआरए को मांग कायमी कराई जावे तथा पटवारी हल्का/भू–अभिलेख निरीक्षक को पैनल्टी वसूली, बेदखली हेतु लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया। तहसीलदार तहसील कामाँ,(डीग)	